न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या — 166/2024
अनवान : —

1. ओमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. शिशुपाल पुत्र चन्दुराम जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. गोपीराम पुत्र चन्दुराम जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. ज्याना उर्फ जमना पुत्री इन्द्राज जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. राजीवसिंह पुत्र रेशमा पुत्री इन्द्राज जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. पूनम पुत्री रेशमा पुत्री इन्द्राज जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073—2076 के खाता संख्या 154/113 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम वा रोही मोजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 12/12 के कुल खसरे 18 का कुल क्षै. 2.7830 है. भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 कि बहिन है व वादीगण संख्या 2 ता 3 कि भुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा मुताबीक पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाई वादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो कि वादी संख्या 2 ता 3 कि मृतक बुआ रेषमा पुत्री इन्द्राज के वारिस है वह अपने मामा चन्दुराम के पुत्रगण वादीगण संख्या 2 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते। इस प्रकार मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता संख्या 154/113 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1/24 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 व 1/24 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है तथा रोही मोजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 12/12 के कुल खसरे 18 का कुल क्षैत्रफल 2.7830 है. भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 व 1/24 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 व 1/24 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा 1 आरपीएम खाता संख्या 12/12, रोही मौजा 3 बारानी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 154/113, मृत्यु प्रमाण रेशमरा, मृत्यु प्रमाण पत्र चन्दुराम व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज[illegible] को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:54 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 3 बारानी तहसील नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 154/113 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम वा रोही मोजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 12/12 के कुल खसरे 18 का कुल क्षै. 2.7830 है. भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार इन्द्राज के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी व प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 154/113 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि व रोही मोजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 12/12 के कुल खसरे 18 का कुल क्षैत्रफल 2.7830 है. भूमि उक्त दोनो खातो में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 2 ता 3 तो ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोहि मोज 1 आरपीएम के खाता संख्या 12/12 के कुल खसरे 18 का कुल क्षै. 2.7830 है. भूमि में वादीगण संख्या 2 का नाम शिशपाल के बजाय शिशुपाल का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:54 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 166 / 2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. शिशुपाल पुत्र चन्दुराम जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. गोपीराम पुत्र चन्दुराम जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ज्याना उर्फ जमना पुत्री इन्द्राज जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. राजीवसिंह पुत्र रेशमा पुत्री इन्द्राज जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. पूनम पुत्री रेशमा पुत्री इन्द्राज जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 166 सन 2024 निर्णय दिनांक – 18/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 154 / 113 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि व रोही मोजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 12 / 12 के कुल खसरे 18 का कुल क्षैत्रफल 2.7830 है. भूमि उक्त दोनो खातो में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 2 ता 3 तो ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोहि मोज 1 आरपीएम के खाता संख्या 12 / 12 के कुल खसरे 18 का कुल क्षै. 2.7830 है. भूमि में वादीगण संख्या 2 का नाम शिशपाल के बजाय शिशुपाल का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:54 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर